डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

# मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

● वर्ष 61 ● अंक 20 ● भोपाल ● 16-31 मार्च, 2018 ● पृष्ठ 8 ● एक प्रति 7 रु. ● वार्षिक शुल्क 150/- ● आजीवन शुल्क 1500/-

## जैविक खेती में अग्रणी राज्य बनेगा मध्यप्रदेश : मुख्यमंत्री श्री चौहान

### *किसानों के सम्मान से सही मायनों में आगे बढ़ेगा देश -श्री श्री रविशंकर*

**भोपाल।** मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के अधिक उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इसे रोकने के लिए जैविकखेती को आगे बढ़ाना होगा। श्री चौहान ने घोषणा की कि मध्यप्रदेश को जैविक खेती के मामले में देश का अग्रणी राज्य बनाया जायेगा। प्रदेश में जैविक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित किया जायेगा और जैविक उत्पादकों की मार्केटिंग के लिए पुख्ता व्यवस्था की जायेगी। श्री चौहान बालाघाट में तीन दिवसीय राज्य स्तरीय जैविक-आध्यात्मिक कृषक सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। कृषक सम्मेलन में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह और प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में अभी 5 लाख 80 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। इस रकबे को बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे। जैविक खेती एवं जैविक कीटनाशकों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 5 साल में किसानों की आय को दोगुना करने का संकल्प लिया है। मध्यप्रदेश की राज्य सरकार इस संकल्प को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बालाघाट जिले में इस वर्ष कीट व्याधि के कारण धान फसल को हुए नुकसान की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के लिए 12 करोड़ 66 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है। इस राशि का किसानों को लगातार वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बालाघाट को खुले में शौच से मुक्त जिला घोषित किया। उन्होंने कहा कि शौचालय बनाने के साथ ही स्वच्छता के प्रति लोगों की मानसिकता को भी बदलना होगा।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने बालाघाट में जैविक आध्यात्मिक कृषक सम्मेलन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इसका लाभ बालाघाट जिले के साथ ही आसपास के क्षेत्रों के किसानों को भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर जी के मार्गदर्शन से मध्यप्रदेश निश्चित ही जैविक खेती में देश का अग्रणी राज्य बनेगा। आर्ट आफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी ने इस अवसर पर कहा कि भारत ऋषि एवं कृषि का देश है। ऋषि ज्ञान देता है और कृषि अन्न देती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में लोग खेती करना पसंद नहीं करते हैं। इससे हमारी कृषि पिछड़ती जायेगी। हमें जैविक खेती को अपनाने के साथ ही किसानों को सम्मान देना होगा।

## राज्यमंत्री श्री सारंग से चर्चा उपरांत सहकारी संस्थाओं की हड़ताल समाप्त

**भोपाल।** सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग से चर्चा के उपरान्त सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर दी है। श्री सारंग से सहकारी संस्थाओं की कर्मचारी यूनियनों के पदाधिकारियों ने उनके निवास पर अपनी मांगों के संबंध में चर्चा की। चर्चा के बाद सहकारी कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष श्री सरजेन्द्र खीची और श्री अशोक मिश्रा ने हड़ताल समाप्ति की घोषणा की और मंत्री श्री सारंग का आभार व्यक्त किया।

राज्य मंत्री श्री सारंग ने कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता पूर्वक सुना और विभागीय अधिकारियों को सभी संभव मांगों पर सहमति व्यक्त कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मांगो पर सहमति से प्रदेश की साढ़े चार हजार से अधिक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के 45 हजार से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे। प्रमुख सचिव सहकारिता श्री के.सी. गुप्ता, सहकारिता विभाग और अपेक्स बैंक के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

## कार्यस्थल पर प्रभावोत्पादकता पर कार्यशाला आयोजित

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल में दिनांक 09.03.2018 को कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र. भोपाल में पदस्थ महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु 'कार्यस्थल पर प्रभावोत्पादकता'' विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गयी जिसमें 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण का शुभारंभ मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन द्वारा किया गया। श्री रंजन ने उद्घाटन भाषण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। तत्पश्चात् म.प्र. एड्स कंट्रोल सोसायटी की उप संचालक श्रीमती सुनीला शर्मा राजा द्वारा प्रतिभागियों को एड्स उन्मुखी-करण एवं जागरूकता विषय पर जानकारी दी गई। **(शेष पृष्ठ 2 पर)**

(पृष्ठ 1 का शेष)

# कार्यस्थल पर प्रभावोत्पादकता पर कार्यशाला आयोजित

उनके द्वारा विभिन्न चित्रों, आंकड़ों, पी.पी.टी., ब्रोशर आदि की सहायता से विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के शिक्षा अधिकारी श्री पृथ्वीराज सिन्हा ने कार्यस्थल पर प्रभावोत्पादकता विषय पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया। प्रथम सत्र में प्रशिक्षण की महत्ता, स्वीकारात्मक व्यवहार (Assertive behaviour), कार्यालयीन संप्रेषण हेतु शिष्टाचार, स्वीकारात्मक संप्रेषण (Assertive communication), आदि विषयों पर जानकारी प्रदान की। कार्यालय में संप्रेषण किस तरह से किया जाए ताकि संदेह, शंका की संभावना ना रहे, विशेषकर कार्यालयीन ई मेल, फाइलों के प्रस्तुतीकरण के संदर्भ में जानकारी दी गई।

इसके अलावा उन्होंने समय प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा की तथा कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के पास 24 घंटे का ही समय होता है, किंतु इसी समय का उपयोग कर कोई बहुत बड़े समूह या कार्यालय को नेतृत्व प्रदान करता है और कोई केवल अपना कार्य भी नहीं कर पाता यह सब समय प्रबंधन पर निर्भर है। समूह कार्य (Team work) की महत्ता के अंतर्गत अपना परिवार बनाओ खेल के माध्यम से टीम वर्क को समझाया। श्री पृथ्वीराज सिन्हा ने तनाव प्रबंधन के साथ ही सायबर क्राइम पर भी प्रकाश डाला।

कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन द्वारा किया गया । कार्यक्रम समन्वयक व्याख्याताद्वय श्री ए.के. जोशी एवं श्रीमती रेखा पिप्पल थे।

# म.प्र. में बनेगा मुख्यमंत्री महिला कोष : मुख्यमंत्री श्री चौहान

## अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री ने की घोषणा

**भोपाल।** मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये मुख्यमंत्री महिला कोष की स्थापना की जायेगी। कोष का उपयोग महिला सशक्ति-करण गतिविधियों में किया जायेगा। उन्होंने उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालयों में शासकीय अधि-वक्ताओं की नियुक्ति में महिला अधिवक्ताओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की। श्री चौहान यहाँ अतंर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पचास वर्ष से अधिक आयु की विधवा अथवा परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जायेगी। बड़े शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए कामकाजी महिला वसतिगृहों का संचालन निजी भवनों को किराये पर लेकर किया जायेगा। इसमें महिलाओं के सुरक्षा एवं सुविधाओं के पर्याप्त उपाय किए जायेंगे।

श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश की आँगनवाड़ियों में वितरित होने वाले टेक होम राशन के निर्माण और प्रदाय का कार्य महिलाओं के स्व-सहायता समूहों के फेडरेशन के जरिये किया जायेगा। शासकीय विद्यालयों में वितरित की जाने वाली यूनिफार्म को सिलने का कार्य महिला स्व-सहायता समूहों को दिया जायेगा। योग्य महिला स्व-सहायता समूहों के फेडरेशन्स को ऋण की गारंटी सरकार द्वारा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि श्रमिक महिलाओं को गर्भावस्था में पालन-पोषण के लिये छह महीने से लेकर प्रसव तक चार हजार रूपये दिये जायेंगे। प्रसव के बाद 12 हजार रूपये दिये जायेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों की गरिमा को मलिन करने वालों को फाँसी की सजा होगी। इसके लिये कानून बनाकर राष्ट्रपति को अनुमोदन के लिये भेजा गया है। उन्होंने कहा कि समाज को भी बेटियों की सुरक्षा के लिये खड़े होना होगा। मानसिकता बदलनी होगी। बेटों में भी संस्कार देने की पहल करना होगी कि वे बहनों और बेटियों का सम्मान करें।

श्री चौहान ने कहा कि समाज और विश्व को आगे बढ़ाने के लिये मातृ शक्ति को आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर देने होंगे। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे आगे बढ़ें और मध्यप्रदेश को भी आगे बढ़ायें। उन्होंने कहा कि हर दिन बेटी का होना चाहिये। सिर्फ एक दिन सम्मान और श्रद्धा का कार्यक्रम करने की रस्म निभाने से आगे बढ़कर काम करने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। इसमें लाड़ो सम्मान, लिंगानुपात सुधार पुरस्कार, तेजस्विनी पुरस्कार, सशक्त वाहिनी पुरस्कार और 60 वर्ष से अधिक आयु की उन महिलाओं को सम्मानित किया गया, जो अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में अथक कार्य कर रही हैं।

मुख्यमंत्री ने पश्चिम मध्य रेल में सहायक लोको पायलट सुश्री आरती सिंह राजपूत, सुश्री प्रीति वर्मा और सुश्री दीपा झरवड़े को सम्मानित किया। उन्होंने सुश्री पूरन ज्योति, सुश्री इशिता विश्वकर्मा, श्री राघवेन्द्र शर्मा और सुश्री अनीता विश्वकर्मा को लाडो सम्मान दिया। बुरहानपुर जिले में लिंगानुपात सुधार के लिये सुश्री सौरभ सिंह को सम्मानित किया गया। सुश्री विनीता नामदेव, श्रीमती रेखा पंजाम, सुश्री इंद्राणी वरकड़े, सुश्री शांति टेकाम को तेजस्विनी पुरस्कार दिया गया। बुरहानपुर की सुश्री निधि गुप्ता को सशक्त वाहिनी पुरस्कार दिया गया। इसके पहले मुख्यमंत्री ने महिला वसति गृह **स्वयंसिद्धा** का लोकार्पण किया। उन्होंने मातृ शक्ति की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नारी शक्ति की गरिमा का उत्सव मनाने का दिन है। उन्होंने बताया कि एक लाख बेटियों को ड्रायविंग लाइसेंस दिये गये हैं। कमर्शियल लाइसेंस देने की भी पहल होगी। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा, कल्याण में प्रदेश आगे है। आँगनवाड़ी की 12 हजार कार्यकर्ताओं को मोबाइल दिया गया है। शेष आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जल्दी ही मोबाइल मिलेंगे। उन्होंने कहा कि जननी सुरक्षा योजना से संस्थागत प्रसव कई गुना बढ़ गया है और कम वजनी बच्चों की संख्या में कमी आयी है। गंभीर कुपोषित बच्चों की संख्या भी कम हो गई है।

अखिल भारतीय किरार महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह चौहान, राज्य मंत्री श्रीमती ललिता यादव और बड़ी संख्या में मातृ शक्ति उपस्थित थीं। सभी जिलों से महिलाएँ सम्मेलन में भाग लेने आई थीं। अध्यक्ष म.प्र. हाउसिंग बोर्ड श्री कृष्ण मुरारी मोघे, महिला आयोग अध्यक्ष श्रीमती लता वानखेड़े भी उपस्थित थी। शुभारंभ सत्र में बाल भवन के बच्चों ने बेटी बचाओ पर नृत्य-नाटिका प्रस्तुत की। इस मौके पर प्रमुख सचिव श्री जे.एन. कंसोटिया और आयुक्त महिला सशक्तिकरण श्रीमती जयश्री कियावत भी उपस्थित थीं।

## राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा

*सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा निर्देश जारी*

**भोपाल।** सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में पात्रता, मापदण्ड एवं सहायता की मात्रा को पुनः स्पष्ट किया है। अब राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के घटक राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (**NFBS**) के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को सहायता प्राप्त होगी। परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर शोक संतप्त परिवार को 20 हजार रूपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी प्रकार की मृत्यु (प्राकृतिक अथवा अन्य) हो जाने पर परिवार सहायता के लिए पात्र होगा।

गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार के किसी भी कमाऊ सदस्य, जिसकी कमाई घर चलाने में अहम योगदान करती है, मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार को राष्ट्रीय परिवार सहायता का लाभ लेने की पात्रता होगी। मृतक के परिवार में सदस्य महिला या पुरूष या ट्रान्सजेण्डर हो सकता है। राष्ट्रीय परिवार सहायता की पात्रता के लिए लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्थानीय जॉच के बाद मृतक गरीब के परिवार में ऐसे जीवित सदस्य को पारिवारिक लाभ का भुगतान किया जाएगा, जो उस परिवार का कमाऊ व्यक्ति पाया गया हो। इस योजना में **परिवार** शब्द में विवाहिता वयस्क की मृत्यु के मामले में पति-पत्नी, छोटे ब%चों, अविवाहित लड़कियाँ और आश्रित माता-पिता; अविवाहित वयस्क की मृत्यु के मामले में छोटे भाई-बहन या आश्रित माता-पिता को शामिल किया गया है। योजना में सहायता की पात्रता के लिये मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम की आयु में होना जरूरी होगा।

## अब तक 3 लाख किसानों का पंजीयन

**भोपाल।** भावांतर भुगतान योजना में रबी-2008 की चार फसलों के लिये पंजीयन की तिथि 12 मार्च तक बढ़ा दी गई । पूर्व में यह तिथि 12 फरवरी से 12 मार्च तक निर्धारित थी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की मांग पर यह फैसला लिया है। रबी-2008 की चार फसल चना, मसूर, सरसों और प्याज के लिये किसानों का निःशुल्क पंजीयन प्रदेश की 350 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और 257 कृषि उपज मण्डियों में किया जा रहा है। अब तक करीब 3 लाख किसानों का पंजीयन हो चुका है।

पी.जी.डी.सी.ए. मात्र 9100/-
डी.सी.ए. मात्र 8100/-
न्यूनतम योग्यता पी.जी.डी.सी.ए.
स्नातक एवं डी.सी.ए.-बारहवीं (10+2)
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित
सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध
प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल
(माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध)
ई-8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल (म.प्र.) पिनकोड-462 039
फोन.-0755 2725518, 2726160 फेक्स-0755 2726160
Email: rajyasanghbpl@yahoo.co.in,ccmtcbpl@rediffmail.com

# ई-कोआपरेटिव्स वेब पोर्टल

**शिरीष पुरोहित,** कम्प्यूटर प्रशिक्षक, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर
मोबाईल 99264 51862

**म. प्र. शासन के सहकारिता विभाग द्वारा ई–गवर्नेंस स्थापित करने के लिये वेब पोर्टल ई–कोआपरेटिव्स (www.mpsc.mp.nic.in/ecooperatives) का संचालन किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप विभाग के अनेक कार्यो का निष्पादन द्रुत गति से हुआ है व पारदर्शिता आई है। यह विभाग का आईटी क्षेत्र में नवाचार है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर कई अवार्ड प्राप्त हुए है। राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, भोपाल से तैयार करवाये गये इस वेब पोर्टल के माध्यम से संबंधित हितधारको को G2C (Govt. to Coop) G2G (Govt. to Govt.) & G2E (Govt. to Empl.) सेवाएं, विभागीय गतिविधियों की जानकारी तथा नागरिक केन्द्रित इंटरफेस की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।**

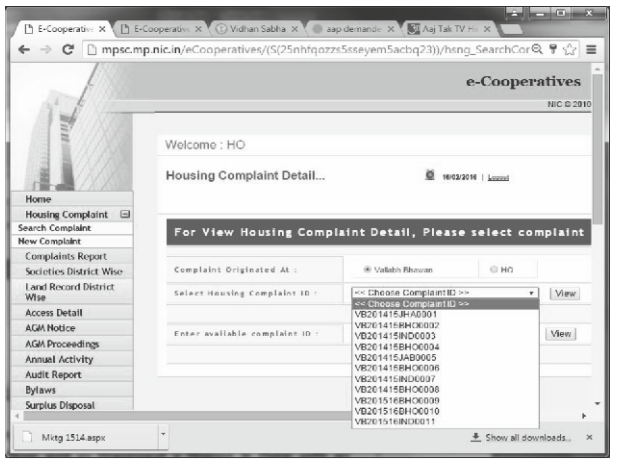


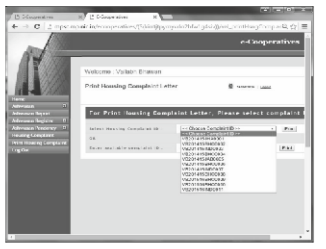

G2C सेवायें

- सहकारी सोसायटी के पंजीयन हेतु ऑनलाईन आवेदन तथा निर्णय प्रक्रिया की जानकारी
- गृहनिर्माण सहकारी संस्थाओं की शिकायत दर्ज करवाने की सुविधा
- सहकारी संस्थाओं द्वारा पंजीयक को सहकारी अधिनियम अंर्तगत प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजो की ऑनलाईन प्रस्तुति व इन दस्तावेजो की पब्लिक शेयरिंग
- प्रदेश की सहकारी सोसायटियों की सामान्य जानकारी ऑनलाईन उपलब्ध
- प्रदेश के सहकारी कार्यालयो की सामान्य जानकारी ऑनलाईन उपलब्ध
- सोसायटियों के अंकेक्षण हेतु सनदी लेखाकार (सीए) के पेनल तैयार करने हेतु आवेदन प्रक्रिया व प्रोसेसिंग ऑनलाईन की गई है
- किसानो को अल्पकालीन कृषि ऋण खातो व फसल बीमा आदि की जानकारी एसएमएस के माध्यम से प्रदाय किये जाने हेतु डेटा प्रविष्टि कार्य

G2G सेवायें

- विभाग में ई–फाईल ट्रेकिंग सिस्टम की व्यवस्था
- गृहनिर्माण सहकारी संस्थाओं की शिकायतो के निराकरण हेतु ऑनलाईन मानीटरिंग
- प्रदेश की सहकारी संस्थाओं, कोर्ट केसेस, स्थापना संबंधी मामले तथा विडियों कान्फ्रेसिंग की जानकारी
- सहकारी अधिकरण व न्यायालय की ऑनलाईन जानकारी
- विभागीय आश्वासनो का ऑनलाईन रजिस्टर
- विभागीय पत्रो का प्रेषण व संबंधित अधिकारी को एसएमएस अलर्ट

G2E सेवायें

- विभाग कर्मियो के लिये ई–सर्विस बुक
- विभागीय सेवायुक्तो के लिये शासकीय दस्तावेजो के प्रेषण हेतु 'ई–संकलन' सुविधा व सक्षम अधिकारी द्वारा एसएमएस प्रेषण की सुविधा
  इन कार्यो हेतु सहकारिता विभाग के कार्यालयो, अपेक्स बैंक, डीसीसीबी, पेक्स तथा सहकारी संस्थाओं व विभागीय सेवायुक्तो हेतु लॉगिन आईडी बनाये गये है। आम नागरिक भी अपने मोबाईल नम्बर के माध्यम से अपने को रजिस्टर करवाकर उपलब्ध नागरिक सेवाओं के लिये लॉगिन कर सकता है।
  इस पोर्टल में कई महत्वपूर्ण लिंक भी दी गई है जिसके माध्यम से गृह निर्माण सोसायटियों की शिकायत, कृषक पंजीयन की रसीद, सीए पेनल की जानकारी, ऑडिट अलाटमेंट प्रोसीजर की जानकारी, ई–संकलन, ई–आईसीडीपी तथा विभागीय वेबसाईट की लिंक उपलब्ध है।
  सहकारी संस्था द्वारा पोर्टल पर निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की जाती है:–
- सोसाइटी की जानकारी
- वार्षिक आमसभा का नोटिस
- वार्षिक आमसभा का कार्यवृत्त
- अधिनियम की धाराउ 49 (7) अंतर्गत जानकारी
- धारा 56 (2) अंतर्गत जानकारी
- वित्तीय स्थिति विवरण
- लाभ और हानि
- प्राप्ति और विवरण
- संचालक मंडल की बैठक का कार्यवृत्त
- सदस्यता सूची
- लेखाओं के संपरीक्षक की जानकारी
- सहकारी अधिनियम की धारा 59 के अधीन जांच प्रतिवेदनर का पालन प्रतिवेदन
- गृहनिर्माण संस्थाओं की वरीयता सूची
- मीटिंग ऑब्जेक्शन

पोर्टल संबंधी शिकायत व सुझाव हेतु निम्नानुसार सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है
**कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें**
ग्राउंड फ्लोर, विंध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.) पिन 462 004
फोन 0755–2551453
ईमेल : rcs.ecooperatives@mp.gov.in
फेसबुक http://www.facebook.com/ecooperatives

# दमोह में रासायनिक उर्वरक का संतुलित उपयोग विषय पर कार्यशाला का आयोजन

दमोह। म.प्र. राज्य सहकारी संघ भोपाल एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादत, दमोह के संयुक्त तत्वाएधान में बैंक के सभागार में आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं म.प्र. भोपाल के निर्देशानुसार रासायनिक उर्वरक का संतुलित उपयोग विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में ग्रामीण अंचलों के प्रगतिशील कृषकों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। कार्यशाला के प्रारम्भ में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर के प्रवक्ता एस.के. चतुर्वेदी ने कार्यक्रम की पृष्ठभूमि से अवगत कराया तथा जिला बैंक दमोह के महाप्रबंधक श्री डी.के. राय ने कृषि उत्पादन हेतु बैंक एवं समितियों की साख सेवाओं के संबंध में जानकारी दी गई।
प्रमुख वक्ता के रूप में कृषि विज्ञान केन्द्र दमोह के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ. बी.एस. साहू ने उर्वरकों के संतुलित उपयोग एवं फसलों की जानकारी दी गई। डॉ. एम.के. अहिरवार कृषि वैज्ञानिक द्वारा फसलों में कीट व्याधि प्रबंध तथा उपचार के संबंध में जानकारी दी गई। श्री बी. एल. कुरील उप संचालक, कृषि ने कृषि विभाग की योजनाओं एवं कृषि उत्पादन तकनीक पर विस्तार से संबोधन दिया। सहायक संचालक उद्यान श्री मोहन सिंह ने उद्यानिकी की विभिन्न वैद्यानिक जानकारी दी। जिले के सेवानिवृत्त कृषि वैज्ञानिक श्री ओमनारायण सिंह ने पॉली हाऊस की तकनीक एवं महत्व की जानकारी दी। इफको के क्षेत्रीय प्रबंधक दीपक पाल ने रासायनिक उर्वरक की विभिन्न किस्मों का फसलवार उपयोग बताया।
जिला बैंक दमोह के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र गुरू ने कृषक भाईयों को संबोधित करते हुये कहा कि कृषि को लाभकारी बनाने हेतु वैज्ञानिकों की परामर्श का उपयोग करें, साथ ही सहकारी समितियों की साख सेवाओं का लाभ उठाये। बैंक आपकी सेवाओं के लिए संकल्पित है। कार्यशाला में बैंक के संचालक श्री प्रभात सेठ, श्री अनिल मिश्रा एवं श्री राजेश पौराणिक उपस्थित रहे।

# प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना : राज्य सहकारी संघ द्वारा प्रशिक्षण

## सहकारिता में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण

**मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के विक्रेताओं हेतु तीन–तीन दिवसीय प्रशिक्षण 4 सितम्बर 2017 से प्रारंभ किये गये हैं। सहकारी क्षेत्र में देश में यह प्रथम प्रयास है। यह प्रशिक्षण सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल, इंदौर, जबलुपर में संचालित हो रहे हैं। प्रशिक्षणों की चित्रमय झलकियाँ।**

सत्र क्र. 25 इंदौर

सत्र क्र. 26 इंदौर

सत्र क्र. 27 इंदौर

सत्र क्र. 28 इंदौर

सत्र क्र. 23 जबलपुर

सत्र क्र. 24 जबलपुर

सत्र क्र. 25 जबलपुर

सत्र क्र. 26 जबलपुर

**कुशल सहकारिता : सफल सहकारिता**

# भावांतर योजना में रबी फसल भंडारण का किराया देगी सरकार

*मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दिल से कार्यक्रम में हर वर्ग से किया आत्मीय संवाद*

**भोपाल।** मध्यप्रदेश में 1 अप्रैल से 31 मई तक राज्य सरकार द्वारा अभियान चलाकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीयन किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आकाशवाणी से प्रसारित कार्यक्रम दिल से में प्रदेशवासियों से आत्मीय संवाद करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि पंजीयन कराने वाले श्रमिकों को वर्ष 2022 तक पक्के मकान, हाथ ठेला, रिक्शा चलाने वालों को ई-ठेला और ई-रिक्शा के लिए 30 हजार रूपए सब्सिडी, श्रमिक संतान की पहली कक्षा से पी.एच.डी. तक की निःशुल्क शिक्षा और पब्लिक स्कूल के स्तर के विद्यालय, नि:शुल्क कोचिंग, गंभीर बीमारी से पीड़ित का बड़े चिकित्सालयों में उपचार, अकुशल श्रमिकों का कौशल उन्नयन, गर्भवती और प्रसूता श्रमिक महिलाओं को आर्थिक सहायता, ब%चों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण आहार और स्वरोजगार के लिए सरकार की गारंटी पर बैंक ऋण की सुविधाएँ प्राप्त होगी।

**मुख्यमंत्री ने महिलाओं से किया आत्मीय संवाद :** मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया। हर दिन माता-बहनों का दिन क्यों नहीं है? कहीं तो कमी है, इस पर चिंतन जरुरी है । अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बेटी को सशक्त बनाने, आगे बढ़ाने और पढ़ाने के प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ने के संकल्प को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि बेटी है तो कल है। श्री चौहान ने कहा कि महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में आज चमत्कार कर रही हैं। तीरंदाजी के एशिया स्तर पर हुये काम्पटीशन में स्वर्ण पदक जीतकर मुस्कान किरार ने प्रदेश और देश का मान बढ़ाया है। फाईटर प्लेन प्रदेश की बेटी अवनी चतुर्वेदी उड़ा रही हैं। कुवालालम्पुर में 12 मार्च से शुरू होने वाली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैम्पियनशिप में देश की बालिका टीम का नेतृत्व भोपाल की बेटी अनम बसित कर रही हैं। उन्हें हार्दिक बधाई देते हुये मुख्यमंत्री ने बताया कि भारतीय महिला हॉकी टीम में भी प्रदेश की 6 खिलाड़ी सम्मिलित हैं।

भिण्ड जिले में बेटियों की संख्या बढ़ने पर उन्होंने कहा कि बेटा-बेटी में भेदभाव से सृष्टि चक्र बाधित होता है। बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे। महिला सशक्तीकरण राज्य की प्राथमिकता है। उन्होंने लाड़ली लक्ष्मी योजना, स्कूल जायें तो निःशुल्क किताबें-यूनिफार्म, दूसरे गाँव स्कूल जाना पड़े तो साईकिल, 12वीं में अ%छे नंबर लाये तो, गाँव की बेटी योजना में कॉलेज की पढ़ाई के लिये अलग से धनराशि पायें। विवाह संबंधी व्यवस्थाओं के कारण कई बार बेटियाँ बोझ मानी जाती है। इस भावना को बदलने के लिये मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना, स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण आदि की व्यवस्थाएं की गई हैं। गर्व का विषय है कि आज निकायों में 54 प्रतिशत से ज्यादा महिलाओं का प्रतिनिधित्व है।

श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में महिला स्व-सहायता समूह आंदोलन का रूप ले रहे हैं। राज्य सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिये महिला स्व-सहायता समूहों को ब्याज अनुदान, बैंक लोन की गारंटी देने और समूह के उत्पाद की मार्केटिंग तथा ब्रांडिंग भी करेगी। शासकीय सेवाओं में वन विभाग को छोड़कर पुलिस सहित शेष सभी विभागों में 33 प्रतिशत शिक्षक संवर्ग में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तीकरण गतिविधियों के लिये मुख्यमंत्री महिला कोष बनाने, उ%च और जिला न्यायालयों के शासकीय अधिवक्ताओं में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रयास किये जायगे। अविवाहित बहनों के प्रति चिंता व्यक्त करते हुये मुख्यमंत्री ने बताया कि 50 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित बहनों को अब पेंशन मिलेगी। बड़े शहरों में महिलाओं के लिये सुरक्षित आवास की समस्या को देखते हुए भोपाल में 100 सीटर वसति गृह बनाया गया है। सरकार ने फैसला किया है कि राज्य सरकार पीपीपी मोड पर प्रायवेट हॉस्टल को किराये पर लेगी, ताकि कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास मिले। उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ियों में वितरित होने वाले पोषण आहार टेक होम राशन का निर्माण और वितरण का कार्य महिला स्व-सहायता समूहों के फेडरेशन से करवाया जाएगा। अगले वर्ष से सरकार स्कूलों की यूनिफार्म सिलने का कार्य महिला स्व-सहायता समूहों से करवाया जायेगा।

**किसानों से मुख्यमंत्री ने किया आत्मीय संवाद :** मुख्यमंत्री ने किसानों से आत्मीय संवाद करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों की सरकार है, जो किसी ने पहले नहीं देखी होगी। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष गेहूँ और धान की फसलें बेचने वाले किसानों को इस वर्ष 200 रूपये प्रति क्विंटल के मान से प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। इस वर्ष भी गेहूँ की समर्थन मूल्य 1735 रूपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी होगी। रा%य सरकार समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 265 रूपये प्रति क्विंटल के मान से किसानों के खातों में राशि जमा करवाएगी। इस तरह गेहूँ की फसल के लिए प्रति क्विंटल 2 हजार रूपए का मूल्य किसानों को प्राप्त होगा। किसान रबी 2017-18 में चना, मसूर एवं सरसों को लाइसेंसी गोदाम में भंडारित करेंगे, तो उन्हें 4 माह तक के भंडारण शुल्क का भुगतान सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि किसान पैसे की आवश्यकता होने पर भंडारित फसल पर बैंक से अनुमानित मूल्य की 25 प्रतिशत राशि प्राप्त कर सकेंगे। इस राशि पर लगने वाला ब्याज सरकार अदा करेगी। फसल बिकने पर 25 प्रतिशत राशि काटकर शेष 75 प्रतिशत धनराशि किसानों को मिल जायेगी। उन्होंने बताया कि किसानों को बिजली फ्लैट रेट पर मिलेगी। ट्रांसफार्मर यदि स्थापना से तीन माह की अवधि में जल जाता है, तो बिना राशि जमा करवाए उसे बदला जायेगा। ट्रांसफार्मर का परिवहन व्यय भी विद्युत मंडल वहन करेगा। यदि ट्रांसफार्मर का परिवहन किसान द्वारा किया जाता है, तो विद्युत मंडल किसान को परिवहन व्यय का भुगतान करेगा।

**प्रदेशवासियों से फोन पर किया आत्मीय संवाद :** मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सफलता की नई कहानियाँ लिखने और प्रगति के नये सोपान कायम करने वालों की उपलब्धियों का उल्लेख कर उन्हें हार्दिक बधाई दी। उज्जैन जिले की तहसील तराना के ग्राम भगवतपुरा निवासी प्रगतिशील कृषक श्री हुकुमसिंह पटेल को एप्पल बेर लगाकर प्रति बीघा डेढ़ लाख रूपये से अधिक का मुनाफा कमाने के लिये बधाई दी। शहडोल जिले के सोहागपुर विकासखण्ड के ग्राम गोरतरा झिरिया टोला निवासी श्री इरफान को बधाई दी जिन्होंने बंजर भूमि में तालाब बनाकर मत्स्य पालन से जीवनयापन के साथ ही बिजली ट्रांसफार्मर और ट्यूबवेल भी लगवा लिया है। अब दूसरों को नौकरी दे रहे हैं। उन्होंने इंदौर जिले की विद्युत कंपनी की रचनात्मक पहल की सराहना की। विद्युत जोन की सभी 25 कर्मचारी महिलाएं हैं, जो 60 हजार आबादी को 24 घंटे सफलतापूर्वक बिजली देने का कार्य कर रही हैं। महिलाएं खम्बों पर चढ़कर कनेक्शन जोड़ने जैसे जोखिम भरे अनेक कार्य कर रही हैं।

## सिंगल क्लिक से 36 लाख हितग्राहियों को मिल रही 116 करोड़ सामाजिक सुरक्षा पेंशन

**भोपाल।** प्रदेश के 36 लाख से अधिक पेंशन हितग्राहियों को एक क्लिक से माह की पहली तारीख को ही पेंशन मिल जाती है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा वृद्धजनों, निराश्रितों, विधवाओं को प्रति माह प्रदान की जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 116 करोड़ रुपये से अधिक की पेंशन प्रति माह प्रदान की जाती है।

आयुक्त सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण से प्राप्त जानकारी के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने के लिये अब प्रदेश के बुजुर्ग, निराश्रित, विधवा, विकलांगजनों से बार-बार बैंकों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिल गई है। इसके लिये राज्य सरकार द्वारा सिंगल क्लिक सिस्टम लागू किया गया है, जिसके माध्यम से सभी हितग्राहियों के खाते में एक साथ पेंशन जमा हो जाती है, जिसे वह अपनी सुविधा और जरूरत के अनुसार निकाल सकते हैं।

रा%य सरकार द्वारा पेंशन योजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है। निःशक्त और विधवा पेंशन स्वीकृति के अधिकार ग्राम पंचायत सचिव को दे दिये गये हैं।

# क्षेत्रीय विकास में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे : मुख्यमंत्री

*अशोकनगर जिले के हितग्राही सम्मेलनों में शामिल हुए मुख्यमंत्री*

**भोपाल।** मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को अशोकनगर जिले की तहसील पिपरई के ग्राम ढोढिया एवं गुन्हेरू में हितग्राही सम्मेलन में कहा कि क्षेत्र के विकास में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की जनता से मिले स्नेह को अनुकरणीय बताया।

श्री चौहान ने कहा कि आगामी तीन साल में प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत क्षेत्र के सभी गरीबों को पक्के मकान बनवा कर दिये जायेंगे। श्रमिकों के ब%चों की कक्षा एक से पी-एच.डी. तक की पढ़ाई निःशुल्क करवाई जायेगी। उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों की भरपाई के लिए जिन किसानों की फसलों का 50 प्रतिशत से अधिक का नुकसान हुआ है, उन्हें 30 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर की अनुदान सहायता राशि दी जायेगी। उन्होंने बताया कि गेहूँ का समर्थन मूल्य 1735 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। साथ ही 265 रूपये प्रति क्विटंल के मान से बोनस राशि दी जायेगी।

**मुख्यमंत्री ने की घोषणाएं :** ग्राम ढोढिया में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पानी की समस्या को दूर करने के लिए 65 लाख रूपये लागत की नल-जल योजना की स्वीकृति दी। ग्राम में 12 लाख रूपये लागत का पंचायत भवन, 10 लाख रूपये का आंगनवाडी भवन, उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन, विद्युत सब स्टेशन निर्माण, प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण कराये जाने की घोषणा की। इसी प्रकार, ग्राम गुन्हेरू में आगामी सत्र से हाई स्कूल खोलने, 80 लाख रूपये की नल-जल योजना की स्वीकृति, गुन्हेरू से मुंगावली रोड रेलवे लाइन तक तीन किलोमीटर रोड की स्वीकृति, 12 लाख रूपये का पंचायत भवन तथा तालाब गहरीकरण कराये जाने की घोषणा की।

**हितग्राहियों को किया लाभ वितरण :** कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा ग्राम ढोंढिया में प्रधानमंत्री आवास, शौचालय निर्माण, कृषि यंत्र, लाड़ली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, राज्य/ जिला बीमारी सहायता, सब्जी, पौध वितरण, गौ संवर्धन, साइकिल वितरण एवं मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजनान्तर्गत 66 हितग्राहियों को 45 लाख 53 हजार रूपये की राशि के लाभ का वितरण मौके पर किया गया। इसी प्रकार ग्राम गुन्हेरू में 98 हितग्राहियों को 36 लाख 15 हजार रूपये की राशि के हितलाभ का वितरण किया गया।

हितग्राही सम्मेलन में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती बाईसाहब यादव, अशोकनगर विधायक श्री गोपीलाल जाटव, जन-प्रतिनिधि एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे।

# 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति पर मिलेंगे 30 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर

*राज्य शासन ने जारी किये आदेश*

**भोपाल।** फरवरी-2018 में ओला-वृष्टि से 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति पर सिंचित फसल के लिये 30 हजार रुपये तथा वर्षा आधारित फसल के लिये 16 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के मान से अनुदान सहायता राशि दी जायेगी। अभी यह राशि क्रमशः 15 हजार और 8 हजार रुपये है। राज्य शासन द्वारा माह फरवरी-2018 में ओला-वृष्टि से कृषकों को हुई फसल नुकसानी के लिये तथा भविष्य में दी जाने वाली सहायता के संबंध में राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि तथा मानदण्ड में संशोधन किये गये हैं। उल्लेखनीय है कि फरवरी माह में ओला-वृष्टि से प्रभावित फसलों के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने फसल क्षति पर अनुदान सहायता राशि बढ़ाने की घोषणा की थी।

**फसल हानि के लिये आर्थिक सहायता**

प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरुण पाण्डेय ने जानकारी दी है कि फलदार पेड़, उन पर लगी फसलें, आम, संतरा, नींबू के बगीचे, पपीता, केला, अंगूर, अनार आदि की फसलें तथा पान बरेजे को छोड़कर सभी उगाई जाने वाले फसलों, जिसमें सब्जी की खेती, मसाले, ईसबगोल, तरबूजे, खरबूजे की खेती भी सम्मिलित है, चाहे वह खेतों या नदी के किनारे हों की हानि के लिये नये मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं।

लघु एवं सीमांत कृषक, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि है, उनकी 25 से 33 प्रतिशत फसल क्षति पर वर्षा आधारित फसल के लिये 5 हजार, सिंचित फसल के लिये 9 हजार, बारहमासी (छह माह से कम अवधि में क्षतिग्रस्त होने पर) फसल के लिये 9 हजार, बारहमासी (छह माह से अधिक अवधि के बाद क्षतिग्रस्त होने पर) फसल के लिये 15 हजार और सब्जी, मसाले तथा ईसबगोल की खेती के लिये 18 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान सहायता राशि दी जायेगी।

इतने ही रकबे वाले कृषकों की 33 से 50 प्रतिशत तक फसल क्षति पर वर्षा आधारित फसल के लिये 8 हजार, सिंचित फसल के लिये 15 हजार, बारहमासी (छह माह से कम अवधि में क्षतिग्रस्त होने पर) फसल के लिये 18 हजार, बारहमासी (छह माह से अधिक अवधि के बाद क्षतिग्रस्त होने पर) फसल के लिये 20 हजार और सब्जी, मसाले तथा ईसबगोल की खेती के लिये 26 हजार और सेरीकल्चर (एरी, शहतूत और टसर) के लिये 6 हजार एवं मूँगा के लिये 7 हजार 500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान सहायता राशि दी जायेगी। इसी रकबे की 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति पर वर्षा आधारित फसल के लिये 16 हजार, सिंचित फसल के लिये 30 हजार, बारहमासी (छह माह से कम अवधि में क्षतिग्रस्त होने पर) फसल के लिये 30 हजार, बारहमासी (छह माह से अधिक अवधि के बाद क्षतिग्रस्त होने पर) फसल के लिये भी 30 हजार, सब्जी, मसाले तथा ईसबगोल की खेती के लिये 30 हजार और सेरीकल्चर (एरी, शहतूत और टसर) के लिये 12 हजार एवं मूँगा के लिये 15 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान सहायता राशि दी जायेगी।

लघु एवं सीमांत कृषक से भिन्न 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि धारित करने वाले कृषक को, उनकी 25 से 33 प्रतिशत फसल क्षति पर वर्षा आधारित फसल के लिये 4 हजार 500, सिंचित फसल के लिये 6 हजार 500, बारहमासी (छह माह से कम अवधि में क्षतिग्रस्त होने पर) फसल के लिये 6 हजार 500, बारहमासी (छह माह से अधिक अवधि के बाद क्षतिग्रस्त होने पर) फसल के लिये 12 हजार और सब्जी, मसाले तथा ईसबगोल की खेती के लिये 14 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान सहायता राशि दी जायेगी।

इसी रकबे के कृषकों को 33 से 50 प्रतिशत फसल क्षति पर वर्षा आधारित फसल के लिये 6 हजार 800, सिंचित फसल के लिये 13 हजार 500, बारहमासी (छह माह से कम अवधि में क्षतिग्रस्त होने पर) फसल के लिये 18 हजार, बारहमासी (छह माह से अधिक अवधि के बाद क्षतिग्रस्त होने पर) फसल के लिये भी 18 हजार और सब्जी, मसाले तथा ईसबगोल की खेती के लिये 18 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान सहायता राशि दी जायेगी।

इसी रकबे वाले कृषकों को 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति पर वर्षा आधारित फसल के लिये 13 हजार 600, सिंचित फसल के लिये 27 हजार, बारहमासी (छह माह से कम अवधि में क्षतिग्रस्त होने पर) फसल के लिये 30 हजार, बारहमासी (छह माह से अधिक अवधि के बाद क्षतिग्रस्त होने पर) फसल के लिये भी 30 हजार और सब्जी, मसाले तथा ईसबगोल की खेती के लिये 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान सहायता राशि दी जायेगी।

इन संशोधनों के अलावा राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-6 क्रमांक-4 परिशिष्ट-1 के अन्य प्रावधान पहले की तरह लागू रहेंगे।

# मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की गेहूं उपार्जन की तैयारियों की समीक्षा

## करीब 100 लाख मेट्रिक टन उपार्जन का अनुमान

**भोपाल।** मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां मंत्रालय में भावान्तर भुगतान योजना, मुख्यमंत्री उत्पादकता प्रोत्साहन योजना और गेंहू उपार्जन की तैयारियों की समीक्षा की। श्री चौहान ने गेंहू उपार्जन के लिए पर्याप्त संख्या में उपार्जन केन्द्र स्थापित करने, परिवहन और भंडारण की विशेष व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि इस बार करीब 100 लाख मीट्रिक टन गेंहू उपार्जन होने का अनुमान है। गेंहू का समर्थन मूल्य 1735 प्रति क्विंटल है। मुख्यमंत्री उत्पादकता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत किसानों को 265 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाएगा। उपार्जन 15 मार्च से शुरू होगा। अभी तक 15 लाख 27 हजार किसानों ने पंजीयन कराया है। बैठक में बताया गया कि वर्तमान में 181 लाख मीट्रिक टन भण्डारण क्षमता है। मुख्यमंत्री ने संभाग स्तर पर उपार्जन की तैयारियों की समीक्षा करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नवाचारी योजनाओं की मदद से किसानों को उनकी उपज और मेहनत का वाजिब मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने किसानों के पंजीयन और अनुमानित उत्पादन संबंधी ब्यौरा संधारण करने में पूरी पारदर्शिता रखने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि छोटे और मझोले किसानों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। किसानों के खातों में पैसे पहुंचने में किसी प्रकार की बाधा नही आना चाहिए। उनके खातों का समय पर सत्यापन करा लें। मुख्य सचिव श्री बी.पी सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी. मीना, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री अशोक बर्णवाल, प्रमुख सचिव कृषि श्री राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्रीमती नीलम शमी राव, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री के.सी. गुप्ता, मंडी आयुक्त श्री फ़ैज़ अहमद किदवई एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

# श्री जे.पी. गुप्ता को भावभीनी बिदाई

### सरल और सौम्य व्यक्तित्व के धनी श्री जे.पी. गुप्ता

सरल और सौम्य स्वभाव के श्री जे.पी. गुप्ता कर्मठ व्यक्तित्व के धनी हैं जिन्होंने कर्म को ही प्रधान माना है। अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक एवं अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने के बाद भी श्री गुप्ता में अपने पद का अभिमान लेश मात्र भी नहीं रहा। उनकी निष्ठा सदैव ही असंदिग्ध रही है। वे अपनी ईमानदारी के लिए विख्यात रहे हैं। वे न्यूनतम सुविधाओं पर अधिकतमम परिणाम देने के पक्षपाती रहे हैं।

श्री जगदीशप्रसाद गुप्ता का जन्म राजगढ़ जिले की जीरापुर तहसील के छोटे से गांव कोडक्या में स्व. श्री गोवर्धनलालजी गुप्ता एवं माता श्रीमती ललताबाई के घर 1958 में हुआ था। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के छोटे से स्कूल की टाटपट्टी पर बैठकर चिमनी की रोशनी में शुरू की। बाद में अपनी उच्च शिक्षा इंदौर में पूरी की।

वर्ष 1981 में सहायक पंजीयक के रूप में आपने मध्यप्रदेश सरकार की सेवाएं शुरू की। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती मंजु गुप्ता ने कुशल गृहिणी एवं अर्धांगिनी के रूप में हमेशा आपको सहयोग किया। इसी कारण आप अपने संस्कारों पर दृढ़ रहकर अनुशासित निष्कलंक शासकीय सेवा कर पाए।

भोपाल। अपर आयुक्त श्री जे.पी. गुप्ता को उनकी सेवानिवृत्ति पर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग अधिकारी संघ एवं कार्यपालन कर्मचारी संघ की ओर से भावभीनी बिदाई दी गई। इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने श्री गुप्ता के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की प्रशंसा करते हुए उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की कामना की।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सहकारिता आयुक्त श्रीमती रेनु पंत ने कहा कि श्री गुप्ता सहज व सरल स्वभाव के कर्मयोगी हैं। उन्होंने 36 साल तक पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से कार्य किया है। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उनकी कार्यशैली का अनुसरण करना चाहिये।

अपर आयुक्त श्री अजय दीक्षित ने कहा कि हमने शुरू से ही साथ–साथ काम किया है। विज्ञान के विद्यार्थी होते हुए भी आप अकाउंट का बहुत बढ़िया काम जानते हैं। अपने सरल एवं आडम्बर रहित व्यवहार से आपने मुख्यालय का संचालन बहुत अच्छे तरीके से किया।

कार्यक्रम को अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री आर.के. शर्मा, संयुक्त आयुक्त (न्यायिक) श्री प्रदीप नीखरा, संयुक्त आयुक्त जबलपुर श्री पी.एस. तिवारी, संयुक्त आयुक्त मुख्यालय श्री बृजेश शुक्ला, संयुक्त आयुक्त श्रीमती रविकांता दुबे एवं अन्य अधिकारियों ने भी संबोधित किया। श्री जे.पी. गुप्ता ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे मेरे सेवाकाल में आप सबने जो सहयोग और प्रेम दिया है उसकी यादें हमेशा बनी रहेंगी।

कार्यक्रम में श्रीमती मंजू गुप्ता, पूर्व अपर आयुक्त श्री अखिलेश चतुर्वेदी एवं श्री एस.एन. गुप्ता, आईसीडीपी प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री सी.एस. डाबर, सहकारिता मंत्री के ओएसडी श्री अरूण माथुर, संयुक्त आयुक्त अरविन्दसिंह सेंगर, बी.एल. चौहान, संजय दलेला, डॉ. अनिल वर्मा, अमृतलाल अहिरवार, उप सचिव श्री मनोज सिन्हा, अवर सचिव श्रीमती गायत्री पाराशर, म.प्र. राज्य सहकारी संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन सहित सहकारिता विभाग एवं अपेक्स बैंक के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे। इस अवसर पर अधिकारी संघ की ओर से श्री अशोक मिश्रा एवं श्री प्रदीप नीखरा जी ने स्मृति चिन्ह भेंट किया। कार्यपालन कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष श्री अविनाश सिंह और उनकी टीम ने श्री गुप्ता को सम्मान पत्र दिया जिसका वाचन सुश्री सपना गुहा ने किया। कार्यक्रम का संचालन सहकारिता उपायुक्त श्री प्रेम द्विवेदी ने किया एवं आभार प्रदर्शन श्री अशोक सक्सेना ने किया।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा सांध्य प्रकाश लि.'सांध्यप्रकाश भवन' मालवीय नगर, भोपाल से मुद्रित एवं ई–8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2015-17 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।